


तारीख
हुकम

17.12.19

वकील वार्दी उपस्थित नहीं। सुनवाई हेतु
वर्द्ध अवकाश दिए जा चुके हैं। विधिगत
आवामे लाजकामी जानी वार्दी स्वयं या उनके
उनिनिधिर उपस्थित नहीं। वाप अवाम परकी
अवाम हाजरी के कारिम किया जाना है
पत्रावली केवल मुकाल है जो नकार दे
क्या है व वाजिब फरमा है।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

